प्रकरण संख्या 15/2021 शेष नारायण बनाम सुरेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित (अ) की आराजी नंबर 230, 234 किता 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार (ब) की आराजी नंबर 231, 232 किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है तथा (स) की आराजी नंबर 233 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/82 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 20/41 हिस्सा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07.01.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होने पर नकल दिनांक 24.04.2019 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त विभाजन योजना के विरूद्ध धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.12.2020 को खारिज करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 05.01.2021 प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील ने मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विभाजन योजना रेकार्ड अनुसार तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मिली भगत से मनमाफिक तैयार की गयी है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने पटवारी से मिली भगत कर राजस्व रेकार्ड से परे जाकर विभाजन योजना बनाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.03.2017 अनुसार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को जवाब का अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19.05.2017 को नियत की गयी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का बिना जवाब लिये पत्रावली उक्त नियत दिनांक के स्थान पर सीधे ही दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का जवाब लेकर तथा पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 20.02.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर